

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक-54006

/ ऋण सेल / एस.सी.पी. / 2019-20

दिनांक-21.05.2020


समस्त शाखा / वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय— पं० दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वितरित ऋणों पर ब्याज उपादान की सुविधा प्राप्त करने के सम्बंध में।

कृपया खादी एवं ग्रामोद्योग, अनुभाग-2 के पत्र संख्या-29/2018/374/59-2-2018-13(खा)/2017टी.सी. दिनांक 21.05.2018(संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बंध में अपेक्षा की गयी है।


उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त योजनान्तर्गत वितरित ऋणों पर ब्याज उपादान की सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप पर विवरण भरकर खादी ग्रामोद्योग विभाग को प्रेषित करके ब्याज उपादान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(ए० के० सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की शाखाओं द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रबन्धक(आई०टी०सेल),उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्र०का०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैंक के समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबंधक को ई-मेल कराना सुनिश्चित करें।


प्रबन्ध निदेशक

पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ब्याज उपादान दावा पत्रक

(सामान्य/आरक्षित वर्ग हेतु)

वित्तपोषक बैंक शाखा का नाम.....आई०एफ०एस०सी०कोड.....
 उद्यमी का नाम व पता:-.....(i) टर्म लोन खाता संख्या.....
 उद्यमी का पीएमईजीपी आई०डी०कोड:-.....(ii) कार्यशील पूंजी खाता संख्या.....

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,
 उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
 जिला.....।

महोदय,

मेरी शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष.....में डी०आई०सी०/के०वी०आई०सी०/यू०पी० के०वी०आई०बी० द्वारा प्रायोजित पीएमईजीपी योजनान्तर्गत श्री.....को उद्योग.....की स्थापना हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण निम्नवत् है:-

स्वीकृत ऋण का विवरण				ऋण के प्रथम किस्त भुगतान का विवरण		पीएमईजीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान के टी०डी०आर० का विवरण			
उद्यमी अंशदान	सावधि ऋण	कार्यशील पूंजी	योग	धनराशि	दिनांक	धनराशि	टी०डी०आर० संख्या	दिनांक	टी०डी०आर० अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ब्याज उपादान मांग का विवरण:-

क्रमांक	ऋण मद	धनराशि	ब्याज उपादान धनराशि की मांग		
			अवधि	दर	धनराशि
1	पूंजीगत				
2	कार्यशील पूंजी				
3	योग				

हम प्रमाणित करते हैं कि ब्याज उपादान की उक्त धनराशि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋणदाता बैंक शाखा को इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुई है।

अग्रिम रसीद

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जनपद..... से पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की धनराशि रु०.....दिनांक.....से दिनांक.....तक का उद्यमी श्री.....के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर एक रु० के रसीदी टिकट पर
 पूरा नाम, मोबाइल नम्बर सहित

शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर
 नाम, मोबाइल नम्बर व मुहर सहित

संलग्नक:-

- 1- प्रयोजक एजेन्सी (केवीआईसी/डीआईसी/केवीआई पी) का फारवर्डिंग लेटर
2. वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र
3. इकाई के बैंक ऋण खाते का अद्यतन स्टेटमेंट
4. शाखा प्रबंधक द्वारा इकाई का निरीक्षण रिपोर्ट
5. टीडीआर सम्बन्धी अभिलेख
6. लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।